RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अक्टूबर
18
2024

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors
13. Index

DTAB
Drugs Technical Advisory Board

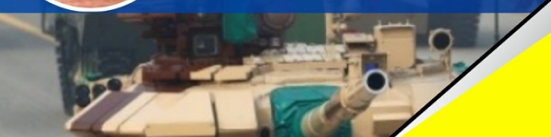

By Ankit Avasthi Sir

IUCN की "कृषि और संरक्षण" रिपोर्ट: जैव विविधता और कृषि के संबंध

IUCN's "Agriculture and Conservation" report: the links between biodiversity and agriculture

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने हाल ही में **"कृषि और संरक्षण"** शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है, जो कृषि और जैव विविधता के बीच जटिल संबंधों का गहन विश्लेषण करती है। यह रिपोर्ट कृषि के जैव विविधता पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों का आकलन करती है, साथ ही उन सिफारिशों पर भी प्रकाश डालती है जो इन दोनों क्षेत्रों के बीच संतुलन स्थापित कर सकती हैं।

कृषि का जैव विविधता पर प्रभाव:

नकारात्मक प्रभाव:

- IUCN की रेड लिस्ट में शामिल **34% संकटग्रस्त प्रजातियों** पर कृषि के कारण सीधा खतरा है।
- कृषि के प्रत्यक्ष खतरों में प्राकृतिक आवासों का कृषि भूमि, चारागाह भूमि, वृक्षारोपण, और सिंचाई क्षेत्र में रूपांतरण शामिल है।
- अप्रत्यक्ष खतरों में आक्रामक विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, पोषक तत्वों का अतिभार, मृदा अपरदन, कृषि रसायनों का उपयोग, और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक शामिल हैं।

सकारात्मक प्रभाव:

- IUCN की रेड लिस्ट में शामिल लगभग **17% प्रजातियों** के लिए कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण निवास स्थान प्रदान करता है।

जैव विविधता का कृषि पर प्रभाव:

सकारात्मक प्रभाव:

- पारिस्थितिकी तंत्र कृषि का समर्थन करता है, विशेष रूप से प्रावधान सेवाओं (जैसे बायोमास और आनुवंशिक सामग्री का उत्पादन) और विनियमन **सेवाओं** (जैसे जलवायु विनियमन, परागण, जल प्रवाह का नियंत्रण) के माध्यम से।
- ये सेवाएं कृषि को स्थिरता प्रदान करने में सहायक होती हैं, जिससे किसानों को फसल उत्पादन में मदद मिलती है।

नकारात्मक प्रभाव:

- जैव विविधता की कमी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है, जैसे कि **फसलों पर कीटों का हमला** और रोगाणुओं का प्रसार। इससे उत्पादन घटता है और कृषि को नुकसान पहुंचता है।

कृषि को संरक्षण के साथ जोड़ने की सिफारिशें:

1. **कृषि स्थिरता:**
    - उन स्थानों और प्रजातियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए जो कृषि गतिविधियों से नष्ट हो सकती हैं।
    - खाद्य सुरक्षा और आर्थिक उत्पादन को संरक्षित करते हुए कृषि गतिविधियों का सतत विकास किया जाए।
2. **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का संरक्षण:** जलवायु, मिट्टी और पानी की प्राकृतिक स्थिति को बनाए रखना, जो कृषि के लिए अत्यावश्यक हैं।
3. **कृषि और संरक्षण नीतियों का समन्वय**: वैश्विक स्तर पर कृषि सब्सिडियों का सिर्फ **5% से कम** हिस्सा हरित सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। यह रिपोर्ट कृषि और संरक्षण नीतियों को बेहतर तरीके से संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर देती है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN):

- अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) एक विशिष्ट सदस्यता संघ है, जिसमें सरकारें और नागरिक समाज दोनों शामिल हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य **प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण** और **टिकाऊ प्रबंधन** को बढ़ावा देना है।
- IUCN को वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था और
- इसका मुख्यालय **स्विट्ज़रलैंड** के ग्लैंड शहर में स्थित है।

IUCN के मुख्य कार्य:

1. **वैश्विक संरक्षण का नेतृत्व:** IUCN दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए एक **वैश्विक प्राधिकरण** के रूप में काम करता है।
2. **वैश्विक नीतियां और दिशानिर्देश:** यह पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक नीतियों, अनुसंधान और संरक्षण परियोजनाओं के विकास में योगदान देता है।
3. **रेड लिस्ट जारी करना:** IUCN की रेड लिस्ट दुनिया की सबसे व्यापक सूची है, जिसमें पौधों और जानवरों की प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण स्थिति का आकलन किया जाता है। यह सूची संरक्षण में सुधार लाने और विलुप्त होने से प्रजातियों को बचाने के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करती है।

जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला (JUNO) / Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO)

चीन की जियांगमेन भूमिगत न्यूट्रिनो वेधशाला (JUNO) जल्द ही न्यूट्रिनो पर डेटा एकत्र करना शुरू करेगी, जो इन अद्भुत कणों के रहस्यों को सुलझाने में मदद करेगी। न्यूट्रिनो के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए JUNO का मुख्य लक्ष्य उनकी उत्पत्ति और अन्य कणों के साथ उनकी अंत:क्रिया को समझना है।

न्यूट्रिनो: रहस्यमय प्राथमिक कण

न्यूट्रिनो एक मौलिक प्राथमिक कण है, जिसका अध्ययन करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। वायुमंडलीय न्यूट्रिनो का अवलोकन तब संभव होता है जब सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है। न्यूट्रिनो को अन्य कणों से अलग इस बात से पहचाना जाता है कि उनमें विद्युत आवेश नहीं होता, जिस कारण वे अन्य पदार्थों के साथ बहुत कम या शायद ही कभी परस्पर क्रिया करते हैं।

न्यूट्रिनो की मुख्य विशेषताएं:

- **स्पिन:** 1/2
- **चार्ज:** शून्य (नेट न्यूट्रल)
- **गति:** यह अपने स्रोत से लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करता है।
- **परस्पर क्रिया:** न्यूट्रिनो शायद ही कभी अन्य कणों के साथ परस्पर क्रिया करता है, इसलिए इन्हें "भूत कण" भी कहा जाता है।
- **बल:** ये केवल गुरुत्वाकर्षण और कमजोर बल के माध्यम से ही परस्पर क्रिया करते हैं।

JUNO का योगदान: JUNO न्यूट्रिनो का अध्ययन कर कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रश्नों को हल करने में योगदान दे सकता है:

1. **सौर न्यूट्रिनो का अध्ययन:** यह सूर्य से आने वाले न्यूट्रिनो का निरीक्षण कर सौर प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। यह वास्तविक समय में सूर्य की गतिविधियों का अवलोकन करने में सक्षम होगा।
2. **पृथ्वी के न्यूट्रिनो का अध्ययन:** JUNO पृथ्वी के अंदर यूरेनियम और थोरियम के रेडियोधर्मी क्षय से उत्पन्न न्यूट्रिनो का अध्ययन कर सकता है। इससे हमें मेंटल संवहन को समझने और पृथ्वी की टेक्टोनिक गतिविधियों के पीछे के कारणों को जानने में सहायता मिलेगी।
3. **खगोलभौतिकीय स्रोतों की जांच:** JUNO विस्फोटित तारों, गामा-किरण विस्फोटों और अन्य खगोलीय घटनाओं से आने वाले न्यूट्रिनो का भी अध्ययन कर सकता है, जिससे इन शक्तिशाली खगोलभौतिकीय घटनाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।

प्रमुख न्यूट्रिनो वेधशालाएं:

1. **भारत स्थित न्यूट्रिनो वेधशाला (आईएनओ)**: यह परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। इसका स्थान तमिलनाडु के थेनी जिले की बोडी पश्चिमी पहाड़ियाँ हैं।
2. **आइसक्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला (अंटार्कटिका)**: यह दक्षिणी ध्रुव की बर्फ के भीतर स्थित एक अनोखी वेधशाला है, जो ब्रह्मांड का निरीक्षण करती है।
3. **अन्य महत्वपूर्ण वेधशालाएं**:
    - **ट्राइडेंट (चीन)**: उष्णकटिबंधीय गहरे समुद्र में स्थित न्यूट्रिनो टेलीस्कोप।
    - **ड्यून (अमेरिका)**: गहरे भूमिगत न्यूट्रिनो प्रयोग।

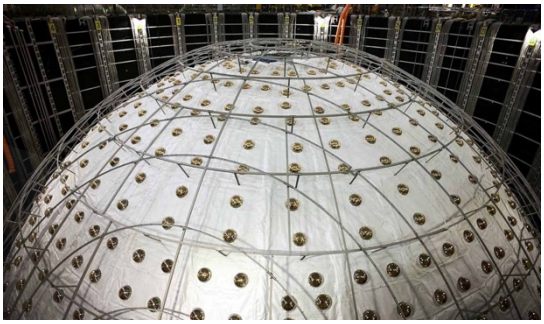

न्यूट्रिनो के निर्माण के स्रोत:

- **तारों और सुपरनोवा**: न्यूट्रिनो का निर्माण उच्च-ऊर्जा प्रक्रियाओं जैसे सितारों के भीतर होने वाली फ्यूजन प्रक्रिया और सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान होता है।
- **पृथ्वी पर**: न्यूट्रिनो का निर्माण कण त्वरकों और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों द्वारा भी किया जाता है।
- **वायुमंडलीय न्यूट्रिनो**: ये तब उत्पन्न होते हैं जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से टकराती हैं।

न्यूट्रिनो का अध्ययन:

न्यूट्रिनो का पता लगाना कठिन होता है क्योंकि वे पदार्थों के साथ बहुत कम परस्पर क्रिया करते हैं, और विद्युत आवेश की कमी के कारण वे विद्युतचुंबकीय बल के प्रति असंवेदनशील होते हैं। हालांकि, न्यूट्रिनो ब्रह्मांड की प्रारंभिक भौतिकी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और भौतिक विज्ञानी दशकों से इनके गुणों का अध्ययन कर रहे हैं।

न्यूट्रिनो के भविष्य के अनुप्रयोग:

1. **सूर्य के आंतरिक गुणों का अध्ययन**
2. **ब्रह्मांड के घटकों का पता लगाना**
3. **प्रारंभिक ब्रह्मांड की जाँच**
4. **चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग**

ग्राम न्यायालय/ Gram Nyayalayas

सुप्रीम कोर्ट ने **ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008** के तहत ग्राम न्यायालयों की स्थापना की **व्यवहार्यता** पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ग्राम न्यायालयों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को **सामाजिक, आर्थिक** या **अन्य अक्षमताओं** के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। हालांकि, न्यायालय ने इस व्यवस्था के **प्रभावी कार्यान्वयन** पर चिंता व्यक्त की है।

सुप्रीम कोर्ट की प्रमुख चिंताएं:

1. **स्थापना की अनिवार्यता:** अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, राज्य सरकारें **ग्राम न्यायालयों** का गठन कर सकती हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसकी स्थापना **अनिवार्य** है या नहीं।
2. **संसाधनों की कमी:** राज्य सरकारों को पहले से ही नियमित न्यायालयों के लिए सीमित संसाधनों का सामना करना पड़ता है, ऐसे में ग्राम न्यायालयों के लिए **वित्तपोषण** चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
3. **न्यायालयों पर बढ़ता बोझ:** ग्राम न्यायालयों से आने वाली **अपीलें** और **रिट याचिकाएं** उच्च न्यायालयों पर अतिरिक्त बोझ डाल सकती हैं, जिससे न्यायिक प्रणाली पर दबाव बढ़ सकता है।

ग्राम न्यायालय क्या हैं?

परिचय:

- ग्राम न्यायालय की संकल्पना का प्रस्ताव **भारतीय विधि आयोग** ने अपनी **114वीं रिपोर्ट** में ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को न्याय की वहनीय और त्वरित पहुँच प्रदान करने के लिए किया था।
- **भारतीय संविधान** का **अनुच्छेद 39A** विधि प्रणाली द्वारा न्याय को बढ़ावा देने और आर्थिक या अन्य अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने हेतु **निशुल्क विधिक सहायता** सुनिश्चित करता है।
- यह विचार वर्ष **2008** में **ग्राम न्यायालय विधेयक** के पारित होने और इसके पश्चात् वर्ष **2009** में **ग्राम न्यायालय अधिनियम** के कार्यान्वयन के साथ अस्तित्व में आया।
- ग्राम न्यायालय को **प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट** का न्यायालय माना जाता है, जिसके पास ग्राम स्तर पर लघु विवादों को निपटाने के लिए **दीवानी** और **आपराधिक** दोनों प्रकार की अधिकारिता होती है।
- यह अधिनियम **नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम** और **असम, मेघालय, त्रिपुरा** और **मिज़ोरम** के विशिष्ट जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त समग्र भारत में क्रियान्वित है।

ग्राम न्यायालयों की कार्यान्वयन स्थिति:

- प्रारंभिक लक्ष्य **2,500 ग्राम न्यायालयों** की स्थापना का था, लेकिन अब तक 500 से भी कम स्थापित हुए हैं।
- **महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान** जैसे कुछ राज्यों में प्रगति देखी गई है, जबकि **उत्तर प्रदेश** और **बिहार** जैसे राज्यों में इसका क्रियान्वयन **अत्यधिक सीमित** या **शून्य** है।

50 करोड़ रुपए के बजट के साथ इस योजना को **31 मार्च 2026** तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान में ग्राम न्यायालयों के संचालित होने और न्यायाधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् ही धनराशि आवंटित की जाती है।

प्रमुख विशेषताएँ:

1. **स्थापना मानदंड:** ग्राम न्यायालय मध्यवर्ती स्तर पर **प्रत्येक पंचायत** या समीपवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए स्थापित किए जाते हैं। किसी ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उसके मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर अवस्थित होता है।
2. **पीठासीन अधिकारी:** पीठासीन अधिकारी, जिसे **न्यायाधिकारी** के रूप में जाना जाता है, को राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से नियुक्त किया जाता है।
3. **क्षेत्राधिकार:** ग्राम न्यायालय उक्त अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध **आपराधिक मामलों, दीवानी मुकदमों, दावों** तथा विवादों को संभालते हैं। ये संक्षिप्त विचारण प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।
4. **सुलह के प्रयास:** ये न्यायालय विवादों को निपटाने के लिए पक्षों के बीच **सुलह करने** पर जोर देते हैं और इस उद्देश्य के लिए नियुक्त **मध्यस्थों** का उपयोग करते हैं।
5. **नैसर्गिक न्याय द्वारा निर्देशित:** ये न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसका स्थान भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले लिया है) के तहत साक्ष्य के नियमों से आबद्ध नहीं हैं और उच्च न्यायालय के नियमों द्वारा निर्देशित **नैसर्गिक न्याय** के सिद्धांतों का पालन करते हैं।
6. **परिचालन की शर्तें:** आरंभ में ग्राम न्यायालयों को मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें अनावर्ती व्यय के लिए **18 लाख रुपए** का एकमुश्त बजट शामिल था।

क्लिक-टू-कैंसिल नियम / Click-to-cancel rule

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय व्यापार आयोग (FTC) ने "क्लिक-टू-कैंसिल" नाम के नए नियम लागू किए हैं, जिनका मकसद उपभोक्ताओं के लिए सदस्यता रद्द करना आसान बनाना है। ये नियम खासकर उन मामलों पर ध्यान देते हैं जहां कंपनियाँ मान लेती हैं कि ग्राहक ने उनकी सेवाओं को तब तक स्वीकार कर लिया है जब तक वे खुद से इसे अस्वीकार नहीं करते।

नए नियमों की खास बातें:

1. **आसान रद्दीकरण**: जिस तरह से उपभोक्ताओं ने सदस्यता ली थी, उसी तरह से उन्हें इसे रद्द करने का विकल्प दिया जाना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन सदस्यता ली थी, तो रद्दीकरण भी ऑनलाइन ही होना चाहिए।
2. **प्रतिनिधियों से बात करने की जरूरत नहीं**: कंपनियां उपभोक्ताओं को सदस्यता रद्द करने के लिए फोन पर या वर्चुअल प्रतिनिधियों से बात करने के लिए मजबूर नहीं कर सकतीं, अगर साइन अप करते समय ऐसा करने की जरूरत नहीं थी।
3. **कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं**: कंपनियां रद्द करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकतीं और उन्हें सामान्य कार्य समय के दौरान फोन का जवाब देना होगा।
4. **विकल्प देना जरूरी**: अगर आपने सदस्यता व्यक्तिगत रूप से ली थी, तो कंपनियों को फोन या ऑनलाइन रद्द करने का विकल्प भी देना होगा।

ये नियम किन पर लागू होंगे?

ये नियम लगभग सभी प्रकार की सदस्यता योजनाओं पर लागू होंगे, जैसे:

- पहले से सूचना देकर मिलने वाली सेवाएं
- स्वचालित नवीनीकरण योजनाएं
- मुफ्त परीक्षण के बाद सेवाएं

नियमों का उद्देश्य: ये नियम 1973 के पुराने नियमों की समीक्षा के हिस्से के रूप में लाए गए हैं, ताकि डिजिटल दौर में कंपनियों की अनुचित या भ्रामक प्रथाओं पर रोक लगाई जा सके। FTC को इस तरह की सदस्यता योजनाओं के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जिनका समाधान ये नए नियम करेंगे।

- संयुक्त राज्य अमेरिका में "नकारात्मक विकल्प" विपणन कार्यक्रमों के कारण उपभोक्ताओं में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है। FTC को हर साल हज़ारों शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें उपभोक्ता यह बताते हैं कि उन्हें सदस्यता सेवाओं को रद्द करने में परेशानी होती है।
- 2024 में, इन शिकायतों की संख्या बढ़कर लगभग 70 प्रति दिन हो गई, जबकि 2021 में यह संख्या 42 थी।
- 2022 में CR रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि 42% उपभोक्ता भूल जाते हैं कि वे उन सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे हैं जिनका वे उपयोग नहीं कर रहे।
- साथ ही, कई ग्राहक अपनी सदस्यता की वास्तविक मासिक लागत को औसतन $133 कम समझते हैं, यानी उन्हें सही लागत का अंदाज़ा नहीं होता। यह दर्शाता है कि लोग अनजाने में उन सेवाओं के लिए भुगतान कर रहे हैं, जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं है।

भारत में स्थिति: भारत में अभी तक इस तरह के नियम नहीं हैं, लेकिन अगर ऐसे नियम लागू होते हैं, तो उपभोक्ताओं को सदस्यता रद्द करने में आसानी होगी और उनके अधिकारों की बेहतर सुरक्षा हो सकेगी।

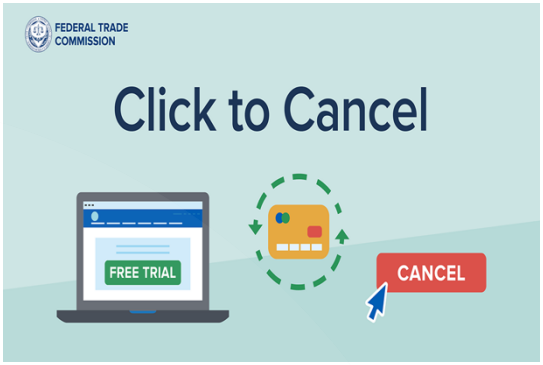

संघीय व्यापार आयोग (FTC) के बारे में:

संघीय व्यापार आयोग (FTC) अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना 1914 में "फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट" के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और व्यापारिक गतिविधियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। FTC निम्नलिखित क्षेत्रों में काम करता है:

- ☑ **अनुचित या भ्रामक व्यापार प्रथाओं को रोकना**: FTC यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापारिक गतिविधियों का सामना न करना पड़े। यह व्यापार और विपणन प्रथाओं पर नज़र रखता है।
- ☑ **अविश्वास कानून लागू करना**: FTC प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों पर कार्रवाई करता है, जैसे कि अवैध एकाधिकार और प्रतिस्पर्धा को रोकने वाले समझौते। इसका मकसद स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना है।
- ☑ **विज्ञापन और विपणन प्रथाओं का नियंत्रण**: FTC यह सुनिश्चित करता है कि उत्पादों और सेवाओं से जुड़े विज्ञापन सही और सटीक हों, ताकि उपभोक्ता गलत जानकारी से प्रभावित न हों।
- ☑ **उपभोक्ता ऋण प्रथाओं का नियंत्रण**: FTC यह देखता है कि उधार देने की शर्तें और ब्याज दरें पारदर्शी और उपभोक्ताओं के हित में हों, ताकि लोग बेहतर वित्तीय निर्णय ले सकें।

सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर चिंता व्यक्त की/ Supreme Court expressed concern over stubble burning

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पराली जलाने के मामलों पर पंजाब और हरियाणा राज्यों द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने पर चिंता व्यक्त की है, जिसके कारण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। न्यायालय ने दोनों राज्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे 2021 में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)** द्वारा जारी निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने में विफल रहे हैं। इन निर्देशों का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने की घटनाओं को रोकना और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना था।

पराली जलाने के प्रमुख कारण:

- **फसल अवशेषों का निपटारा**: चावल की फसल कटाई के बाद खेत में बचे अवशेषों को हटाने के लिए किसान अक्सर उन्हें जलाते हैं, क्योंकि यह सबसे सस्ता और तेजी से खेत को साफ करने का तरीका माना जाता है। इसके बाद गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं।
- **कंबाइन हार्वेस्टर का प्रयोग**: इन मशीनों से कटाई के दौरान जमीन के पास ठूंठ रह जाते हैं, जो पराली जलाने की प्रक्रिया का प्रमुख कारण हैं।
- **समय की कमी**: धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बहुत कम समय होता है, जिससे किसान जल्दबाजी में पराली जलाने का सहारा लेते हैं।

पराली जलाने के प्रभाव:

- **वायु प्रदूषण**: पराली जलाने से **PM2.5**, **PM10**, और **NOx** जैसे हानिकारक प्रदूषक हवा में मिलते हैं, जो दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु गुणवत्ता संकट का कारण बनते हैं।
- **स्वास्थ्य समस्याएं**: वायु प्रदूषण से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों के रोग, और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं में वृद्धि होती है।
- **ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन**: पराली जलाने से **कार्बन डाइऑक्साइड** और **मीथेन** जैसी ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान देता है।
- **मिट्टी की उर्वरता पर प्रभाव**: पराली जलाने से मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और दीर्घकालिक कृषि उत्पादन प्रभावित होता है।

पराली प्रबंधन के सुझाव:

- **मिट्टी में अवशेष मिलाना**: अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें मिट्टी में मिलाकर उर्वरता बढ़ाई जा सकती है।
- **कृषि अवशेषों का उपयोग**: पराली का उपयोग पशु चारे, जैविक खाद, बायोइथेनॉल, और बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
- **फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी**: किसानों को पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध मशीनरी, जैसे सुपर सीडर और हैप्पी सीडर, के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

पराली जलाने को रोकने के लिए पहल:

- **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM)**: यह आयोग एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है और सुधार के लिए कदम उठाता है।
- **ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)**: वायु गुणवत्ता के बिगड़ने पर, यह योजना आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र के रूप में कार्य करती है। जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, तो यह सक्रिय हो जाती है।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के बारे में :

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गठित एक वैधानिक निकाय है। इसे 2021 में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021** के तहत स्थापित किया गया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्याओं से निपटने के लिए समन्वित और प्रभावी समाधान लागू करना है।

मुख्य कार्य और अधिदेश:

1. **वायु गुणवत्ता की निगरानी**: आयोग को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) से संबंधित समस्याओं की निगरानी, समन्वय और समाधान के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
2. **समन्वय**: दिल्ली सरकार और पड़ोसी राज्यों (पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान) के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता सुधार के उपाय लागू करना।
3. **वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण**: आयोग वायु प्रदूषण रोकने के लिए विभिन्न उपाय और निर्देश जारी करता है, जो अनिवार्य रूप से सभी संबंधित व्यक्तियों और प्राधिकरणों द्वारा पालन किए जाने चाहिए।
4. **अनुसंधान और समाधान**: वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों पर शोध करना, प्रभावी समाधान की पहचान करना और उनके कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश तैयार करना।

शक्तियाँ:

1. प्रदूषणकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध:
2. अनुसंधान और दिशानिर्देश
3. निर्देश जारी करना
4. कार्रवाई का निरीक्षण

स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में तीन उत्कृष्टता केंद्र

Three Centres of Excellence (CoE) in Artificial Intelligence (AI) in healthcare, agriculture and sustainable cities

केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवा, कृषि और टिकाऊ शहरों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में तीन उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने की घोषणा की है। यह कदम नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

AI उत्कृष्टता केंद्रों का उद्देश्य:

1. **वित्तीय सहायता**: 2023-24 के केंद्रीय बजट में 2023-24 से 2027-28 की अवधि में 990 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ AI-सीओई की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था।
2. **नेतृत्व**:
    - **स्वास्थ्य सेवा**: इस क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली करेंगे।
    - **कृषि**: इस केंद्र का नेतृत्व पंजाब के रोपड़ स्थित आईआईटी द्वारा किया जाएगा।
    - **टिकाऊ शहर**: इस क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व आईआईटी कानपुर द्वारा किया जाएगा।

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) क्या है?

उत्कृष्टता केंद्र (CoE) एक विशेष केंद्र है जो किसी विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान, नवाचार और उद्योग विशेषज्ञता को एकत्र करता है। ये केंद्र समाधान प्रदाता के रूप में कार्य करेंगे और नई पीढ़ी के रोजगार प्रदाताओं और धन सृजनकर्ताओं को तैयार करेंगे।

नए AI CoE के फोकस क्षेत्र:

- **AI अनुप्रयोग**: स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शहरी स्थिरता में अत्याधुनिक AI अनुप्रयोगों का विकास।
- **ज्ञान का आदान-प्रदान**: शिक्षा, उद्योग और स्टार्टअप्स के बीच सहयोग और ज्ञान का आदान-प्रदान बढ़ाना।
- **कौशल विकास**: पेशेवरों और छात्रों को भविष्य के AI लीडर बनने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने का प्रशिक्षण देना।

निष्कर्ष: ये उत्कृष्टता केंद्र भारत में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगे, रोजगार और धन सृजनकर्ताओं की नई पीढ़ी तैयार करेंगे, और वैश्विक सार्वजनिक भलाई के नए मानदंड स्थापित करेंगे। ये केंद्र बहुविषयक अनुसंधान को बढ़ावा देंगे, जिससे बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे।

भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर प्रभाव:

- **अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक पहुंच**: स्टार्टअप्स को उन्नत AI अनुसंधान, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं, डेटा और तकनीकी प्लेटफार्मों तक पहुंच मिलेगी।
- **सहयोग के अवसर**: शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग विशेषज्ञों के साथ सहयोग से स्टार्टअप्स को लाभ होगा, जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान और सहयोगात्मक विकास बढ़ेगा।

महत्व:

- **स्वास्थ्य देखभाल**: AI-आधारित निदान और पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण रोगी देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन में सुधार करेगा।
- **कृषि**: AI-संचालित उपकरण फसल की पैदावार बढ़ाने, बर्बादी को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला दक्षता में सुधार करने में मदद करेंगे।
- **टिकाऊ शहर**: ये केंद्र स्मार्ट परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा कुशल शहरी बुनियादी ढांचे को विकसित करेंगे, जिससे हरित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

मरणोपरांत प्रजनन एवं संबंधित मुद्दे
Posthumous reproduction and related issues

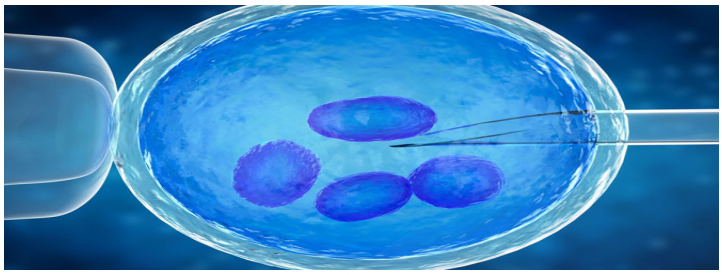

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक **60 वर्षीय दम्पति** को **सरोगेसी** के लिए अपने मृत पुत्र के जमे हुए शुक्राणु का उपयोग करने का अधिकार प्रदान किया है।

निर्णय की मुख्य बातें:

- **कानूनी सहमति:** भारतीय कानून के तहत, यदि अण्डाणु या शुक्राणु के स्वामी की सहमति हो, तो पति या पत्नी की अनुपस्थिति में मरणोपरांत प्रजनन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- **मरणोपरांत प्रजनन:** यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या दोनों जैविक माता-पिता की मृत्यु के बाद **सहायक प्रजनन तकनीक (ART)** का उपयोग करके गर्भधारण किया जाता है। ऐसे मामले में, मृत व्यक्ति के **क्रायोप्रिजर्व्ड गैमेट** का उपयोग बच्चे को गर्भ धारण करने के लिए किया जाता है।
- **संपत्ति का गठन:** न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि वीर्य नमूना या डिंब नमूना 'संपत्ति' का गठन करता है क्योंकि यह व्यक्ति की जैविक सामग्री का हिस्सा है और कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा विरासत में प्राप्त किया जा सकता है।

सहायक प्रजनन तकनीक (ART):

- ART में वे सभी तकनीकें शामिल हैं जो मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या अण्डाणु को ले जाकर तथा युग्मज या भ्रूण को महिला की प्रजनन प्रणाली में स्थानांतरित करके गर्भधारण कराने का प्रयास करती हैं।
- इनमें **इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन**, **सरोगेसी**, **गैमेट क्रायोप्रिजर्वेशन**, **गैमेट इंट्रा-फैलोपियन ट्रांसफर (GIFT)** आदि शामिल हैं।

भारत में ART विनियमन:

1. **ART (विनियमन) अधिनियम, 2021:** यह ART क्लीनिकों और बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है, दुरुपयोग की रोकथाम करता है, और ART सेवाओं का सुरक्षित और नैतिक अभ्यास सुनिश्चित करता है।
2. **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021:** यह वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित और दंडित करता है, तथा इसे केवल परोपकार के लिए अनुमति देता है।

औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB)
Drugs Technical Advisory Board (DTAB)

हाल ही में, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) ने **नई औषधि एवं क्लिनिकल परीक्षण (NDCCT) नियम, 2019** में नई औषधियों की परिभाषा में सभी एंटीबायोटिक दवाओं को शामिल करने की सिफारिश की है।

औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB) के बारे में:

- **स्थापना:** यह भारत में औषधियों से संबंधित तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने वाली सर्वोच्च वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना **औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940** के अनुसार की गई थी।
- **संस्थानिक संबंध:** यह **केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO)** का हिस्सा है।
- **कार्य:** यह औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रशासन से उत्पन्न तकनीकी मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देता है। इसके अलावा, यह इस अधिनियम द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी पूरा करता है।
- **नोडल मंत्रालय:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

नई औषधि (new drug) क्या है?

- **परिभाषा:** औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 122 ई के अनुसार, नई औषधि वह हो सकती है जिसका देश में उपयोग नहीं हुआ हो और जिसे प्रस्तावित दावों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रभावी और सुरक्षित नहीं माना गया हो।
- **विशेषताएँ:** यह संकेत, खुराक, और प्रशासन के नए मार्ग सहित संशोधित या नए दावों के साथ एक अनुमोदित दवा भी हो सकती है।

एंटीबायोटिक्स का विनियमन:

- यदि एंटीबायोटिक्स नई औषधि श्रेणी में लाए जाते हैं, तो इसके विनिर्माण, विपणन, और बिक्री का दस्तावेजीकरण किया जाएगा।
- इसके अलावा, विनिर्माण और विपणन मंजूरी **राज्य औषधि प्रशासन** के बजाय **केंद्र सरकार** से प्राप्त करनी होगी।
- मरीज केवल **डॉक्टर के पर्चे** पर ही एंटीबायोटिक्स खरीद सकेंगे।

निष्कर्ष: यह निर्णय एंटीबायोटिक दवाओं के प्रभावी विनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर बढ़ते एंटीबायोटिक प्रतिरोध के खतरे के संदर्भ में। DTAB की सिफारिश से न केवल दवा सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे चिकित्सकीय प्रथाओं में भी सुधार होगा।

समर्थ योजना
Samarth Yojana

हाल ही में, केंद्र सरकार ने कपड़ा-संबंधी कौशल में **3 लाख लोगों** को प्रशिक्षित करने के लिए **495 करोड़ रुपये** के बजट के साथ **समर्थ योजना** को दो साल (वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26) के लिए बढ़ा दिया है।

समर्थ योजना के बारे में:

- **परिचय:** वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना (समर्थ) एक मांग-आधारित और प्लेसमेंट-उन्मुख व्यापक कौशल विकास कार्यक्रम है।
- **उद्देश्य:**
  - इस योजना का उद्देश्य संगठित वस्त्र एवं संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को प्रोत्साहित करना और उन्हें संपूरित करना है।
  - यह योजना कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को शामिल करती है।
  - इसके तहत प्रवेश स्तर के कौशल के अलावा, परिधान और परिधान क्षेत्रों में मौजूदा श्रमिकों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए **अपस्किलिंग/री-स्किलिंग कार्यक्रम** के लिए एक विशेष प्रावधान भी है।

कार्यान्वयन एजेंसियाँ: समर्थ योजना के अंतर्गत कौशल कार्यक्रम निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

1. **कपड़ा उद्योग**
2. **वस्त्र मंत्रालय/राज्य सरकारों के संस्थान/संगठन** जिनके पास वस्त्र उद्योग के साथ प्रशिक्षण अवसंरचना और प्लेसमेंट संबंध हैं।
3. **प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थान/एनजीओ/सोसायटियां/ट्रस्ट/संगठन/कंपनियां/स्टार्ट-अप/उद्यमी** जो वस्त्र उद्योग के साथ प्लेसमेंट संबंध रखते हैं।

नोडल मंत्रालय:

- **वस्त्र मंत्रालय:** इस योजना का कार्यान्वयन और निगरानी वस्त्र मंत्रालय द्वारा की जाती है।

निष्कर्ष: समर्थ योजना कपड़ा उद्योग में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो रोजगार के अवसरों को सृजित करने और मौजूदा श्रमिकों की क्षमता को बढ़ाने में सहायक होगी। इस योजना के माध्यम से न केवल कपड़ा क्षेत्र के विकास में योगदान मिलेगा, बल्कि इससे युवाओं के लिए स्थायी रोजगार भी उपलब्ध होगा।

वेस्ट नाइल बुखार
West Nile Fever

हाल ही में, यूक्रेन में **वेस्ट नाइल वायरस (WNV)** के गंभीर प्रकोप की सूचना मिली है, जिससे स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है।

वेस्ट नाइल वायरस (WNV) के बारे में:

वेस्ट नाइल बुखार एक वायरल संक्रमण है जो वेस्ट नाइल वायरस (WNV) के कारण होता है। यह वायरस मुख्यत: संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है, जो पहले संक्रमित पक्षियों के रक्त को खाने के बाद वायरस को प्रसारित करते हैं।

- **वर्गीकरण:**
  - WNV फ्लेविवायरस जीनस का सदस्य है और फ्लेविविरिडे परिवार से संबंधित है।
  - इसे पहली बार 1937 में युगांडा के पश्चिमी नील जिले में एक महिला में पृथक किया गया था।
- **भौगोलिक प्रसार:**
  - यह आमतौर पर **अफ्रीका, यूरोप, मध्य पूर्व, उत्तरी अमेरिका**, और **पश्चिम एशिया** में पाया जाता है।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, यह वायरस सामान्यत: **जून से सितंबर** के गर्मियों और शरद ऋतु के महीनों के बीच बढ़ता है।

संक्रमण का स्रोत:

- **संक्रमण का तरीका:**
  - मनुष्यों में संक्रमण मुख्यत: संक्रमित मच्छरों के काटने से होता है।
  - संक्रमित पक्षियों को खाने वाले मच्छर कुछ दिनों तक उनके खून में वायरस को प्रसारित करते हैं।
  - इसके अलावा, वायरस अन्य संक्रमित जानवरों, उनके रक्त या अन्य ऊतकों के संपर्क के माध्यम से भी फैल सकता है।

लक्षण:

- लगभग **80% संक्रमित लोगों** में WNV का संक्रमण **लक्षणविहीन** होता है।
- शेष **20% लोगों** को वेस्ट नाइल बुखार हो जाता है, जिसके लक्षणों में शामिल हैं:

बुखार, सिरदर्द, थकान, शरीर में दर्द, मतली, उल्टी, कभी-कभी त्वचा पर चकत्ते

वैश्विक प्रकोप:

- अब तक, वेस्ट नाइल बुखार के प्रकोप की सूचना **19 देशों** में मिली है, जिनमें **अलबानिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेकिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, इटली, उत्तरी मैसेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की,** और **कोसोवो** शामिल हैं।

हेलफायर मिसाइल क्या है?
What is a Hellfire missile?

हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ 170 एजीएम-114आर हेलफायर मिसाइलों की खरीद के लिए समझौता किया है, जिससे इसके सामरिक महत्व और उपयोगिता का संकेत मिलता है।

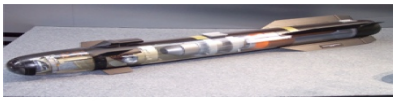

हेलफायर मिसाइल के बारे में :

हेलफायर मिसाइल (AGM-114 Hellfire) एक अत्यधिक सक्षम कम दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और अन्य 30 अमेरिकी सहयोगियों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह मिसाइल मुख्य रूप से एंटी-टैंक और सामरिक लक्ष्यों के खिलाफ बनाई गई है।

विकास और उद्देश्य:

- **विकास का आरंभ:** 1972 में, हेलफायर मिसाइल का विकास अमेरिका ने सोवियत बख्तरबंद संरचनाओं का मुकाबला करने के लिए किया था। इसे हेलीकॉप्टर से प्रक्षिप्त एंटी-टैंक मिसाइल के रूप में डिजाइन किया गया था।
- **लक्ष्य:** यह टैंकों, बंकरों, रडार प्रणालियों, संचार उपकरणों, और बख्तरबंद वाहनों जैसे विभिन्न लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए प्रयोग की जाती है।

विशेषताएँ:

- **आकार:** इसकी लंबाई 1.62 मीटर, व्यास 17.7 सेमी, और पंखों का फैलाव 0.71 मीटर है।
- **वजन:** प्रत्येक मिसाइल का वजन 45.4 किलोग्राम से 49 किलोग्राम होता है, जिसमें 8 किलोग्राम से 9 किलोग्राम का बहुउद्देशीय वारहेड शामिल होता है।
- **प्रणोदन:** इसे एकल-चरण ठोस प्रणोदक ठोस-ईंधन रॉकेट मोटर द्वारा संचालित किया जाता है।
- **गति:** मिसाइल की अधिकतम गति 950 मील प्रति घंटा (लगभग 1,530 किमी/घंटा) होती है।
- **रेंज:** इसकी रेंज 7-11 किमी है।

हेलफायर II मिसाइल (AGM-114R):

- **नवीनतम संस्करण:** एजीएम-114आर हेलफायर II, जिसे हेलफायर रोमियो भी कहा जाता है, हेलफायर II मिसाइल रेंज का नवीनतम संस्करण है।
- **प्रक्षेपण:** इसे विभिन्न प्रकार के फिक्स्ड-विंग विमानों, हेलीकॉप्टरों, सतह के जहाजों और जमीनी सैन्य वाहनों से प्रक्षिप्त किया जा सकता है।

रूपकुंड झील
Roopkund Lake

जलवायु परिवर्तन उत्तराखंड में रूपकुंड झील को प्रभावित कर रहा है, जिससे यह प्रतिवर्ष सिकुड़ रही है।

रूपकुंड झील के बारे में:

रूपकुंड झील, जिसे "कंकालों की झील" भी कहा जाता है, उत्तराखंड के चमोली जिले में गढ़वाल हिमालय के त्रिशूल पर्वत के आधार पर स्थित है। यह समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट की ऊँचाई पर है और अपने किनारे पर पाए गए पांच सौ से अधिक मानव कंकालों के लिए प्रसिद्ध है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- **खोज:** वर्ष 1942 में वन अधिकारी एच.के. मधवाल ने झील के जमे हुए पानी में मानव अस्थियों की मौजूदगी का पता लगाया, जिसके बाद यह झील दुनियाभर में चर्चा का विषय बन गई।
- **अनुसंधान:** भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों द्वारा 2019 में किए गए एक अध्ययन में यह सिद्धांत खारिज किया गया कि ये कंकाल एक ही समूह के थे। इसके बजाय, अध्ययन ने बताया कि ये व्यक्ति आनुवंशिक रूप से विविध थे और उनकी मृत्यु के बीच लगभग 1,000 वर्षों का अंतर था।

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव:

- **जलवायु परिवर्तन:** रूपकुंड झील जलवायु परिवर्तन के कारण सिकुड़ रही है। पारंपरिक रूप से, इस क्षेत्र में केवल बारिश के दौरान बर्फबारी होती थी, लेकिन अब बारिश की आवृत्ति बढ़ रही है, जिससे 'मोरैन' झील की ओर खिसक रही हैं।
- **ग्लेशियरों का प्रभाव:** मोरैन वह मलबा है जो ग्लेशियरों द्वारा बहाकर लाया जाता है। वर्षा के पैटर्न में यह बदलाव सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से संबंधित है।
- **ऊँचाई वाले क्षेत्रों में परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन से ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हरियाली में वृद्धि हो रही है और गर्मी में भी बढ़ोतरी हो सकती है।

संरक्षित करने के उपाय:

रूपकुंड झील और इसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है:

1. **जलवायु अध्ययन:** जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी और विश्लेषण के लिए अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करना।
2. **संरक्षण नीतियाँ:** झील और इसके आस-पास के क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए ठोस नीतियाँ बनाना, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है।

SSC TEST SERIES

CGL, CHSL, MTS, CET, CPO, GD,

Stenographer (Grades C & D)

Only at

99/-Year

Enroll Now !

APNI PATHSHALA

UPPSC,RO/ARO,BPSC,UP TEST SERIES

UPPSC
(TEST SERIES)
- 35+ MOCK TESTS
- 40+ PYQ'S
- 180+ TOPIC WISE TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

299/- YEAR

RO/ARO
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299/- YEAR

BPSC
(TEST SERIES)
- 50+ MOCK TESTS
- 30+ PYQ'S
- 10+ TOPIC WISE TEST
- 65+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 299 YEAR

SSC (TEST SERIES)
- 30 MOCK TESTS
- 28+ YEAR PYP
- 12 SECTIONAL TEST
- 60+ CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

RPF (TEST SERIES)
- 40 MOCK TESTS
- 2 YEAR PYQ'S
- 4 SECTIONAL TEST
- 10 PRACTICE TEST
- 60 CURRENT AFFAIRS

ONLY 99/- YEAR

Download | Application

Apni Pathshala

7878158882

Apni.Pathshala Avasthiankit

AnkitAvasthiSir kaankit

ANKIT AVASTHI SIR

2024

GA FOUNDATION

RECORDED BATCH

Subject

- HISTORY ,POLITY
- GEOGRAPHY
- ECONOMICS

Price

1499/-

Validity
1 Year

By Ankit Avasthi Sir

GA FOUNDATION

Hand Written Notes

Apni Pathshala
एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

Ankit Inspires India

₹ Only 1999

4 पुस्तकों का सम्पूर्ण सेट

अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें....

7878158882

RRB NTPC

TEST SERIES

- 100+ Mock Test
- 78 Sectional Test
- 40+ years PYPs
- 60+ Current affairs

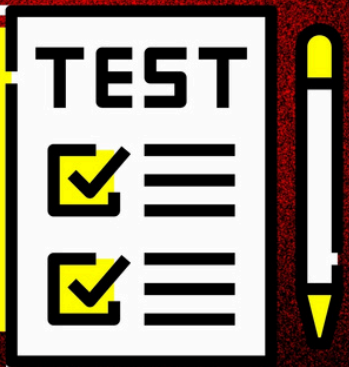

Only 99 Per Year

Buy Now

NCERT COMPLETE

FOUNDATION BATCH

FOR ALL

- POLITY
- ECONOMICS
- HISTORY
- GEOGRAPHY

- DAILY LIVE CLASSES
- , WEEKLY TEST
- CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
- LIVE DOUBT SESSIONS
- DAILY PRACTISE PROBLEM

Rs 4999/-

Apni Pathshala 7878158882 Apni.Pathshala kaankit AnkitAvasthiSir Avasthiankit

ONLY
POLITY
1499
RS
DAILY LIVE CLASSES
, WEEKLY TEST
CLASSES PDF (HINDI+ENGLISH)
LIVE DOUBT SESSIONS
DAILY PRACTISE PROBLEM
Apni Pathshala
7878158882
Apni.Pathshala
kaankit
AnkitAvasthiSir
Avasthiankit